संख्या—1535/23—10—2017—12(सामान्य)/2017

प्रेषक,

डा0 राजशेखर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग—10 लखनऊ :: दिनाँक 09 नवम्बर, 2017

विषयः—सेवा प्रयोक्ता से दिनांक—30 जून, 2017 तक गठित संविदाओं के आधार पर ली जा रही सेवाओं पर जी.एस.टी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—182कैम्प/मु0अभि0(मु0—1)/2017, दिनांक—20.09.2017, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सेवा प्रयोक्ता से दिनांक—30 जून, 2017 तक गठित संविदाओं के आधार पर ली जा रही सेवाओं पर जी.एस.टी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा प्रयोक्ता से 30 जून, 2017 तक गठित संविदा के आधार पर ली जा रही सेवाओं में पूर्व में लागू सर्विस टैक्स एवं 01 जुलाई, 2017 से लागू जी.एस.टी. की दर के अन्तर (धनात्मक/ऋणात्मक) के आधार पर अतिरिक्त टैक्स धनराशि आंकलित की जायेगी।

3— यह अतिरिक्त टैक्स धनराशि सेवा प्रयोक्ता को सीधे भुगतान की जायेगी। अतिरिक्त कर की धनराशि को सेवा प्रयोक्ता द्वारा स्वयं जमा किया जायेगा। ऋणात्मक अन्तर की स्थिति में आंकलित धनराशि सेवा प्रयोक्ता के देयक से काटी जायेगी एवं यह धनराशि बचत के रूप में होगी।

4— भारत सरकार द्वारा पूरे देश में जी0एस0टी0 के अंतर्गत टैक्सेशन की व्यवस्था लागू की गयी है। जी0एस0टी0 काउन्सिल के द्वारा समय—समय पर इसमें परिवर्तन भी किये जा रहे हैं। अतः भारत सरकार द्वारा जी0एस0टी0 के संबंध में समय—समय पर जो आदेश अथवा निर्णय लिये जायेंगे, तत्समय उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा और तदनुसार आदेश भी निर्गत किये जायेंगे।

5— कृपया सेवा प्रयोक्ता की गठित संविदाओं हेतु उक्तानुसार जी.एस.टी. की व्यवस्थाओं का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 राजशेखर)
विशेष सचिव।

संख्या—1535(1)/23—10—2017—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3— प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
4— प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5— लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र कुमार सिंह)
अनुसचिव।